भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

2011

पत्रांक– जे0 11013/2/2013– 611 दिनांक – 22/7/2013

निविदा सूचना

विषय :–**जनगणना निदेशालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना के उपयोगार्थ अधिष्ठापित होने वाले कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के Server से जोड़ने हेतु Cabling & Networking कार्य किये जाने के लिये निविदा।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस निदेशालय के उपयोगार्थ अधिष्ठापित होने वाले लगभग 6 (छः) कम्प्यूटर एवं 2(दो) प्रिंटर को Server से जोड़ने हेतु Cabling & Networking कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये मुहरबंद निविदा दिनांक 31.7.13 के 3 PM तक कार्यालय के टेंडर बॉक्स में डाला जा सकता है अथवा निर्धारित अवधि तक डाक से भेजा जा सकता है। निविदा दिनांक 31.7.2013 को 4 PM में खोली जायेगी। निविदा खुलते समय निविदादाता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा : –

1) Cabling & Networking हेतु स्थल का निरीक्षण के उपरांत लगने वाले सामग्रियों की Make, Quality, Quantity आदि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना होगा।
2) सामग्रियों की Make स्टैण्डर्ड होनी चाहिए (जैसे– डीलिंक इत्यादि)।
3) कार्यों का निष्पादन कार्यालय के आवश्यकता के मद्देनजर साईट अभियंता की सहमति के अनुसार किया जाना होगा।
4) फर्म को कार्य अनुभव प्रपत्र संलग्न करना होगा। कार्यों को 10 दिनों के अन्दर समाप्त करना होगा। कार्यों के समाप्ति के उपरांत कार्य का संतोषजनक प्रमाण पत्र के साथ विपत्र भुगतान के लिये प्रस्तुत करना होगा।
5) निविदादाता सक्षम ऑथोरिटी द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति निविदा पत्र में संलग्न होना चाहिए।
6) सर्शत निविदा स्वीकार्य नहीं होगा तथा निविदा को पूर्णतः अथवा अंशत रद्द करने का अधिकार कार्यालय को सुरक्षित होगा।

22/7/13

(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक(का0अ0)

1) ORGI Website
2) Notice Board
3) Member of Tender Commitee